न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठसीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1955

प्रकरण संख्याः 74/2020

जीवन सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह जाति तरखान निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ

-:प्रार्थी

बनाम्

1 बूटा सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति तरखान निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ
2 गुरदीप सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह जाति तरखान निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ
3 सर्वजीत कौर पुत्री श्री बूटा सिंह पत्नी श्री हरगोविन्द सिंह जाति तरखान निवासी सुलतानपुरिया तहसील रानिया जिला सिरसा (हरियाणा)
4 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ (राज0)
5 आर.एम.जी.बी. बैंक, शाखा मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0) जरिये शाखा प्रबन्धक
6 कैनरा बैक, शाखा हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0) जरिये शाखा प्रबन्धक

-:अप्रार्थीगण

उपस्थितः-

1 श्री सोमप्रकाश शर्मा - अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री खुशप्रीत सिंह संधू - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

-:निर्णयः-

दिनांक :- 03.06.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये विज्ञ अधिवक्ता श्री सोमप्रकाश शर्मा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि हनुमानगढ के चक 7 एस.एन.एम. के खाता सख्या 73/14 खाता बूटा सिह आदि जमाबंदी सम्वत 2074 से 77 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 2.656 हैक्टेयर आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। समस्त आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है - पत्थर नम्बर 102/277 (14) किला नम्बर 24/.253 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 102/278 (17) किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 101/278 (18) किला नम्बर 5, [illegible] प्रत्येक कुल 5.313 हैक्टेयर नाली 1 मय गैर मुमकिन खाला व रास्ता। हनुमानगढ के चक नम्बर 4 एस.टी.जी. के खाता सख्या 54/54, खाता जालू आदि जमाबन्दी सम्वत [illegible] में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/16 हिस्सा दर 5/4 हिस्सा आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है, समस्त आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है - पत्थर नम्बर [illegible] (04) किला नम्बर 21, 22/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 99/265 (11) किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 3.302 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता। हनुमानगढ के चक नम्बर 4 एस.टी.जी. के खाता संख्या 14/16, खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:29:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ

ओमप्रकाश आदि, जमाबन्दी सम्वत 2073 से 76 में अप्रार्थी सख्या 1 के नाम 1/12 हिस्सा दर 385-1/2 हिस्सा आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। समस्त आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है - पत्थर नम्बर 98/264 (5) किला नम्बर 21 ता 25/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 97/264 (06) किला नम्बर 25/.253 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 98/265 (10) किला नम्बर 1 ता 7, 14 ता 17/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 4.301 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला व रास्ता। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 3 ता 5 में अप्रार्थी सख्या 1 के नाम दर्ज आराजी अप्रार्थी सख्या 1 की विरासतन कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व0 करतार सिंह पुत्र प्रेम सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त कृषि भूमि स्व0 करतार सिंह की मृत्यु के बाद अप्रार्थी सख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुई है, जिसका इन्तकाल संख्या 526/05.08.2014, 576/21.07.2014 व 574/05.07.2014 संलग्न प्रार्थना पत्र है। चूंकि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त होना साबित है इसलिए उक्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के को-पार्सनर होने के नाते जन्म से ही हक व अधिकार निहित है तथा उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3, अप्रार्थी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीया सख्या 3, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की सगी बहन है तथा अप्रार्थी सख्या 1 की पुत्री है तथा इसका भी उपरोक्त वादाधीन आराजी में बहिस्सा बराबर का हक व अधिकार निहित है। अप्रार्थी संख्या 3 की शादी अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा अच्छा दान दहेज देकर दी हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 3 का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से स्नेह होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने हक व हिस्से की आराजी का परित्याग अर्सा दराज पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर किया हुआ है जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का वादाधीन आराजी में बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक का 1/3 हिस्सा का हक व ,अधिकार निहित है तथा इसी अनुरूप प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 2 घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी सख्या 2 का अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 के साथ वादाधीन कृषि भूमि पर अपने हक हिस्सा अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में आराजी का अंकन अप्रार्थी सख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी अपने आधिपत्य व धारण की आराजी को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग व उपभोग करने तथा रहन इत्यादि की सुविधा प्राप्त करने से वंचित हो रहा है। इसलिए प्रार्थी उक्त आराजी का अंकन अपने अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादाधीन आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम है, इसी बात का फायदा उठाकर अप्रार्थी सख्या 1, प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक व हिस्सा की आराजी को रहन, बैय व मुन्तकिल करने पर उतारू है तथा इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को धमकी भी दी है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने उक्त मंसुबे में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई किसी प्रकार से नही हो सकेगी। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी सख्या 1 [illegible] इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि [illegible] एल.एन.एम. के खाता सख्या 73/14 खाता बूटा सिंह आदि जमाबन्दी सम्वत 207[illegible] 77 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 2.656 हैक्टेयर आराजी, चक 4 एस.टी.जी. के [illegible] संख्या 54/54 खाता जालू आदि जमाबन्दी सम्वत 2073 से 76 में अप्रार्थी सख्या 1 के नाम 1/16 हिस्सा दर 5/4 हिस्सा आराजी तथा चक 4 एस.टी.जी. के खाता सख्या 14/16 खाता ओमप्रकाश आदि जमाबन्दी सम्वत 2073 से 76 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/12 हिस्सा दर 385-1/2 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:29:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

आराजी को रहन, बैय व मुन्तकिल करने से ममनू व बाज रहे तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, आदि आदि।

≈ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता खुशप्रीत सिंह ने वकालतनामा व अप्रार्थी सं 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि उपरोक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज सजरा खानदान स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज तथ्य रिकार्डेड है, जो स्वीकार है। वर्तमान में जमाबन्दी सम्वत 2074-77 के खाता सख्या 77/14 में दर्ज है जिसकी प्रमाणित प्रति शामिल जवाब है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 व 5 में दर्ज तथ्य रिकार्डेड है, जो स्वीकार है। वर्तमान में उक्त सांझे खाते की आराजी का खाता विभाजन हो चुका है तथा खाता विभाजन उपरान्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 व 5 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी में से मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त 1.012 हैक्टेयर आराजी वर्तमान मे खाता सख्या 208/112 जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी प्रमाणित प्रति शामिल जवाब है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में दर्ज तथ्य झूठे व मनगढ्त होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 3 ता 5 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी पैतृक सम्पति नही है। स्व0 करतार सिंह के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी तथा करतार सिंह की मृत्यु उपरान्त करतार सिंह के जायज व कानूनी 4 वारिसान थे तथा करतार सिंह की मृत्यु उपरान्त मुझ अप्रार्थी सख्या 1 के नाम वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज कुल 2.6565 हैक्टेयर + 1.012 हैक्टेयर यानि 3.6685 हैक्टेयर आराजी में से 1.834 हैक्टेयर आराजी विरासतन प्राप्त हुई है तथा 1.834 हैक्टेयर आराजी मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी बहिनो जसवन्त कौर उर्फ मूर्ति, रणजीत कौर उर्फ मिठो से हक त्याग के द्वारा प्राप्त हुई है जो मुझ अप्रार्थी सख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है जिसमें किसी भी पक्षकार का कोई हक हिस्सा नही है। करतार सिंह की मृत्यु उपरान्त जरिये इन्तकाल सख्या 526/चक 7 एसएनएम, इन्तकाल सख्या 576, 574/चक 4 एसटीजी विरासतन नामान्तरण मान सिंह, मुझ अप्रार्थी सख्या 1 बुटा सिंह, जसविन्द्र कौर उर्फ मूर्ति व रणजीत कौर उर्फ मिठो के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुआ। 1.834 हैक्टेयर आराजी जो मुझ अप्रार्थी सख्या 1 को अपने पिता से विरातसन प्राप्त हुई है में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी सख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा के पक्षकारान हकदार है। अप्रार्थी सख्या 3 द्वारा कभी कोई हक त्याग नही किया है, ना ही प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 ता 3 के मध्य कोई घराघरू बंटवारा हुआ है। मुझ अप्रार्थी सख्या 1 के नाम दर्ज 3.6685 हैक्टेयर मुझ अप्रार्थी सख्या 1 के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है, इस प्रकार 3.6685 हैक्टेयर आराजी में 1/3 हिस्से की घोषणा प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नही है बल्कि 1.834 हैक्टेयर आराजी में प्रार्थी 1/4 हिस्सा यानि .4585 हैक्टेयर आराजी से ज्यादा किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 7 में दर्ज तथ्य झूठे व मनगढ्त होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थी सख्या 3 द्वारा कभी अपने हक हिस्से का परित्याग नही किया बल्कि संशोधित हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार कृषि भूमि में उक्त दर्ज आराजी में 1/4 हिस्सा आराजी बतौर कॉ-पार्सनर अप्रार्थी सख्या 3 प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 8 में दर्ज तथ्य झूठे व मनगढ्त होने के कारण अस्वीकार है। मुझ अप्रार्थी सख्या 1 के नाम दर्ज 3.6685 हैक्टेयर मुझ अप्रार्थी सख्या 1 के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 9 में दर्ज तथ्य झूठे व मनगढ्त होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा ना ही

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2023.07.22 14:29:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 ता 5 में दर्ज आराजी का कभी कोई घराघरू बंटवारा हुआ है। कर्ता खानदान की हैसियत से समस्त आराजी मुख अप्रार्थी सख्या 1 के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है तथा खातेदार काश्तकार होने के कारण व कर्ता खानदान होने के कारण अप्रार्थी सख्या 1 अपने नाम दर्ज कुल 3.6685 हैक्टेयर आराजी को किसी भी प्रकार से उपभोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा मुख अप्रार्थी सख्या 1 को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है। प्रार्थी, मुख अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा कानूनन भी खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है तथा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते हैः-

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्व कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। अप्रार्थी सं. 1 अभिलिखित खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 को प्रश्नगत आराजी अपनी बहिनो जसविन्द्र कौर उर्फ मूर्ति व रणजीत कौर उर्फ मिट्ठे द्वारा की गई पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 31.01.2017 से प्राप्त आराजी है। अभिलिखित अप्रार्थी सख्या 1 के खिलाफ स्थगन आदेश जारी रहता है तो अप्रार्थी बैंक ऋण आदि सुविधाओं से भी वंचित हो सकता है, चूंकि प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें हक व हिस्सों का निर्धारण किया जाना है। दुसरे अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित काश्तकार है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होता है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थना पत्र और जवाब प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 अभिलिखित काश्तकार है तथा अभिलिखित काश्तकार के खिलाफ जारी स्थगन जारी रहने से उसके खातेदारी अधिकारो से यथा बैंक ऋण, पीएम किसान निधि या अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार के खिलाफ यदि स्थगन आदेश जारी रहता तो अप्रार्थीगण खातेदारी अधिकारों का उपयोग व उपभोग से वंचित हो सकते है। न्यायालय के अभिमत में अप्रार्थीगण को असुविधा हो सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:29:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी श्तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में भरपाई नहीं की जा सकती हो।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा बाबत खाता घोषणा व खाता तक्सीम विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति न के बराबर व अप्रार्थी सं. 1 को अधिकतम हो सकती है।

अतएवं उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित नहीं होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:क्रिन्यावित आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश अस्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा स्थगन दिनांक 24.07.2020 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 ..... को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

03.06.25

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:29:46 IST
Reason: SelfAttested